



उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या-307-कार्य/चौदह-पाकालि/2012-138 के/11

दिनांक: 24/02/2012

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि०,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा
केस्को-कानपुर।

विषय:- सरकारी विभागों/केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा कार्य कराये जाने पर प्राकलन सम्बन्धित स्पष्टीकरण।

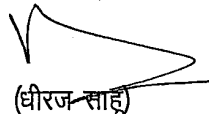
महोदय,

संज्ञान में आया है कि विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकार से सम्बन्धित उपक्रम द्वारा स्वयं कार्य कराये जाने की स्थिति में प्राकलन निर्माण करते समय डिस्मेन्टल सामग्री एवं सुपरविजन चार्ज के सम्बन्ध में अलग-अलग वितरण निगमों/क्षेत्रों में अलग-अलग निर्णय लिये जा रहे हैं।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये जाते हैं:-

1. डिस्मेन्टल करने की लागत को सम्बन्धित प्राकलन में जोड़ा जायगा।
2. डिस्मेन्टलिंग सामग्री के सात्वज मूल्य का क्रेडिट प्राकलन में दिया जाएगा।
3. चूँकि कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वयं कराया जायेगा एवं 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज में सर्वे इत्यादि सभी सम्मिलित है, इसलिए अलग से सर्वे इत्यादि पर व्यय एवं 1.5 प्रतिशत टीएण्डपी एवं 3 प्रतिशत कन्टीजेंसी चार्ज नहीं लिया जायगा।

भवदीय,



(धीरज साहू)

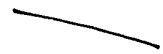
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

संख्या-307-(i)-कार्य/चौदह-पाकालि/2012तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण, 3/248 विशाल खण्ड, गोमती नगर लखनऊ (फैक्स नं०-0522 2391297)।
2. परियोजना निदेशक (पीआईओ), देहरादून, मकान नं०-05, लेन नं०-04, तेग बहादूर रोड, देहरादून-248001 को उनके पत्र संख्या-एनएचआई/पीआईओ-डीडीएन/22013/यूटीलिटी शिपिंग स्टीमेट(18)/2008/2353, दिनांक 21.12.2011 के सन्दर्भ में।

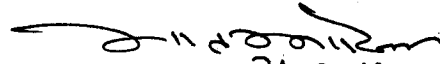
आज्ञा से,


(भारत भूषण गोयल)
उपसचिव (कार्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सलाहकार, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वितरण/वित्त/वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर सचिव-I/II/III/ अराजपत्रित, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियंता(वितरण क्षेत्र), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
5. मुख्य अभियंता (सीएमयूडी) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उनकी टिप्पणी 140 सीएमयू(डी)/मा० राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग दिनांक 27.01.12 के संदर्भ में।
6. मुख्य अभियंता (वाणिज्य)/(रेस्पो)/(नियोजन) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. उप महा प्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त उप महा प्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,



(भारत भूषण गोयल)

उपसचिव (कार्य)